विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.&ए.जी.) की यह रिपोर्ट भारत सरकार के नौ वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों तथा उनके अधीन स्वायत्त निकायों और केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों के लेन-देन की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले मामलों से संबंधित है। रिपोर्ट में ₹ 448.62 करोड़ से संबंधित 20 पैराग्राफ है, जो खरीद और अनुबंध में कमजोरियाँ, अक्षम परियोजना प्रबंधन, कर्मचारियों को दिए गए अनियमित वित्तीय लाभ, कमजोर आंतरिक नियंत्रण आदि से संबंधित हैं। इस रिपोर्ट में शामिल विशिष्ट लेखापरीक्षा निष्कर्षों का एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के परिणामी बजट का पुनरीक्षण

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने परिणामी बजट के निर्माण के लिए मापदण्डों पर सरकारी निर्देशों का पालन नहीं किया। परिणामस्वरूप परिणामी बजट में संसाधनों के मितव्ययी प्रयोग से प्राप्त सामान्य बचतों, बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की अद्यतन स्थिति तथा राज्यों एवं कार्यान्वयन एजेंसियों के पास गैर-प्रयुक्त शेषों पर सूचना का गैर-समावेशन रहा। एम.एन.आर.ई. तथा राज्य नोडल एजेंसियों द्वारा अनुरक्षित आंकड़ों में विसंगतियां थीं जिससे किए जाने वाले वित्तीय परिव्ययों से अपेक्षित परिणामों को मापने हेतु एक उपकरण के रूप में परिणाम बजट की उपयोगिता कमजोर पड़ गई।

(अध्याय 2)

भारी पानी बोर्ड की गतिविधियां

भारी पानी बोर्ड द्वारा बड़ौदा के बंद भारी पानी संयंत्र के विघटन तथा निपटान के निर्णय में देरी एवं तालचर के भारी पानी संयंत्र को बंद करने में देरी के कारण इनके रख-रखाव पर ₹ 68.26 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। 29 परियोजनाओं में एक माह से सात वर्ष से अधिक का समय लंघन तथा पांच परियोजनाओं में ₹ 12.32 करोड़ का लागत लंघन था। ₹ 8.66 करोड़ की लागत से स्थापित ऑक्सिडेशन प्रणाली फीडर गैस की कमी के कारण उपयोग में नहीं लाया जा सका।

(पैराग्राफ 3.1)

भूमि किराया की अल्प-प्राप्ति

परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा फैसले की कमी की वजह से तेल कम्पनियों को पट्टे पर दी गई भूमि के किराया संशोधन तथा अनुज्ञप्ति अनुबंध के नवीकरण में निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंधन निदेशालय असमर्थ रहा, जिसका परिणाम ₹ 12.78 करोड़ के भूमि किराया तथा ब्याज की अल्प-प्राप्ति हुआ। इसके अतिरिक्त, भूमि किराए के देरी से भुगतान पर ब्याज के ₹ 50.39 लाख भी वसूली योग्य थे।

(पैराग्राफ 3.2)

वसूली हेतु लंबित बकाया देय

विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगीकी बोर्ड रेडियोएक्टिव सामग्री तथा संबंद्ध उत्पादों की बिक्री के लिए भुगतान प्राप्ति हेतु उचित क्रियाविधि स्थापित करने हेतु समय पर कार्यवाही करने में असफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.71 करोड़ वसूली के लिए लंबित रहा।

(पैराग्राफ 3.3)

अनियमित छुट्टी यात्रा रियायत दावे

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद ने इसके कर्मचारियों के छुट्टी यात्रा रियायत बिल पास करने से पहले अनुबंधित जाँच का पालन नहीं किया, जिसका परिणाम अनियमित दावों के लिए ₹ 40.11 लाख का भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 3.4)

जैव संसाधन और सतत विकास संस्थान, इम्फाल की गतिविधियाँ

जैव संसाधान और सतत विकास संस्थान, इम्फाल, क्षेत्र के आर्थिक विकास हेतु अपने आरंभ के 15 वर्षों से अधिक अवधि समाप्त होने के बाद भी जैव प्रौद्योगिकीय व्यवधान के द्वारा जैव संसाधन विकास एवं उसके स्थायी उपयोग के अपने उद्देश्य की प्राप्ति में पर्याप्त प्रगति नहीं कर सका।

(पैराग्राफ 4.1)

पदोन्नति तथा हकदारी की अनियमित मंजूरी

राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केन्द्र, पुणे ने लचीली पूरक यजना के अंतर्गत वैज्ञानिक स्टाफ के पदोन्नति तथा विदेश दौरों के मामले में मौजूदा नियम तथा आदेशों का पालन नहीं

किया। परिणामस्वरूप इसके कर्मियों को वेतन, यात्रा भत्ता तथा विदेश दौरों हेतु कुल ₹ 93.26 लाख का अनियमित भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 4.2)

स्टाफ आवास के निर्माण हेतु खरीदी गई भूमि का गैर उपयोग

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, स्टाफ आवास के निर्माण के लिए ₹ 3.93 करोड़ की कीमत पर अधिग्रहित भूमि को 17 वर्ष बीतने के पश्चात् भी प्रयोग में लाने में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप, निर्माण में देरी के कारण जुर्माने के तौर पर ₹ 35.89 लाख का परिहार्य व्यय तथा ₹ 41.14 लाख जुर्माने की लंबित देनदारी हुई।

(पैराग्राफ 4.3)

मूल्य वृद्धि पर परिहार्य व्यय

इण्डियन एसोसिएशन फोर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता ने अल्पावधि अनुबंध के क्रियान्वयन में मूल्य-वृद्धि पर ₹ 52.78 लाख का परिहार्य व्यय किया तथा ₹ 31.01 लाख की अतिरिक्त देयता पैदा की।

(पैराग्राफ 5.1)

दंड-स्वरूप ब्याज की गैर-वसूली

निजी उद्योगों को वित्तपोषित परियोजनाओं से आय के अपने हिस्से के विलंबित धन-प्रेषण पर दंड-स्वरूप ब्याज लगाने में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की विफलता का परिणाम ₹ 2.55 करोड़ की गैर-वसूली के रूप में हुआ।

(पैराग्राफ 6.1)

सी.एस.आई.आर. की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं का प्रबंधन

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के राष्ट्रीय प्रयोगशाला योजना के तहत 27 चयनित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के परियोजनाओं के लेखापरीक्षा में कार्य बल/क्षेत्रीय निगरानी समितियों/अनुसंधान परिषदों के गैर-गठन/विलंबित गठन और परियोजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिए इन एजेंसियों द्वारा संचालित की जाने वाली बैठकों की संख्या में कमी के संदर्भ में निगरानी प्रणाली में कमियां पाई गई।

(पैराग्राफ 6.2)

विद्युत प्रभारों का परिहार्य भुगतान

भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान, कोलकाता द्वारा बिजली संविदा की मांग को कम करने के लिए विलंबित कार्रवाई के परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कम्पनी को दिए गए बिलिंग मांग प्रभारों के प्रति ₹ 64.90 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 6.3)

उपग्रह दिशानिर्देशन प्रणाली का परिचालन

भारत सरकार द्वारा मई 2006 में ₹ 1,420 करोड़ की लागत पर भारतीय भूमि और आसपास के क्षेत्र पर एक स्वतंत्र और स्वदेशी उपग्रह आधारित दिशानिर्देशन प्रणाली स्थापित करने के लिए "नाविक" को मंजूर किया गया। कार्यक्रम पर अब तक ₹ 1,283.93 करोड़ का व्यय किया गया था। हालांकि, अनुबंधों के क्रियान्वयन में देरी, कार्यक्रम की अपूर्ण निगरानी और अपर्याप्त कार्यवाही के कारण प्रणाली का अभी तक परिचालन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, ₹ 3.57 करोड़ मोडेम की अनावश्यक खरीद पर खर्च किए गए थे।

(पैराग्राफ 7.1)

सॉफ्टवेयर विकास पर निष्फल व्यय

अंतरिक्ष विभाग द्वारा डिजिटल कार्यप्रवाह प्रणाली के विकास पर एक परियोजना के कार्यान्वयन और समुचित निगरानी में विफलता के परिणामस्वरूप इसके आरम्भ होने से 11 वर्ष से अधिक में, ₹ 2.27 करोड़ के खर्च के बावजूद, सॉफ्टवेयर का विकास नहीं हुआ।

(पैराग्राफ 7.2)

आबद्ध भांडागार हेतु किराए का परिहार्य भुगतान

समुद्र सजीव संसाधन एवं पारिस्थितिकी केन्द्र, कोच्चि ने आबद्ध भांडागार में अप्रयुक्त तथा कार्य के अयोग्य मदों का भंडार किया तथा आबद्ध भांडागार के किराए के लिए ₹ 1.03 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

(पैराग्राफ 8.1)

अनियमित वेतन संरक्षण

राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई ने नियमित आधार पर अनुबंध कर्मचारियों की नियुक्ति पर उनका वेतन संरक्षण अनियमित रूप से मंज़ूर किया। परिणामस्वरूप 44 कर्मचारियों को ₹ 1.97 करोड़ के वेतन तथा भत्तों का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 8.2)

सौर तापीय विद्युत संयंत्र का गैर-उपयोग

एक समर्पित कार्यबल, जो सौर तापीय विद्युत संयंत्र और अनुसंधान सुविधा के निरंतर प्रचालन को सुनिश्चित कर सके, विकसित करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 46.36 करोड़ की लागत से निर्मित सुविधाओं का गैर-उपयोग हुआ।

(पैराग्राफ 9.1)

छुट्टी नकदीकरण पर अनियमित भुगतान

डी.पी.ई. के दिशानिर्देशों से विचलन में किए गए अर्धवेतन छुट्टी/अस्वस्थता छुट्टी के नकदीकरण के परिणामस्वरूप 2013-14 से 2016-17 के दौरान ₹ 10.53 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 10.1.1)

डी.पी.आई. के दिशानिर्देशों का गैर-अनुपालन

प्रोत्साहन योजना की गैर-मंज़ूरी के कारण अनियमित भुगतान तथा अर्जित अवकाश के नकदीकरण के कारण कर्मचारियों को ₹ 6.85 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 10.2.1)